रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 1992 (श्रावण 10, 1914)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 1992 (SRAVANA 10, 1914)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 643

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . 771

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . 11

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1259

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . *

भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . 777

भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . 935

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्यों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 3035

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . . 117

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक . . *

*अंकड़े प्राप्त नहीं

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	643
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	771
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1259
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India (of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . .	777
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	935
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3035
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	117
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .	*

Folio Nos. not Received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 1992

सं० ए-11011/10/95-प्रशा० I—आर्थिक सलाहकार परिषद की अवधि 4-7-92 तक बढ़ाने से संबंधित इस सचिवालय की दिनांक 30-4-92 की समसंख्यक अधिसूचना और डा० विमल जालान द्वारा 14-12-90 से आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित योजना आयोग की दिनांक 21-12-90 की अधिसूचना एफ 6(1443)/90-प्रशा I के संदर्भ में।

2. सरकार ने पहले के गठन में ही आर्थिक सलाहकार परिषद, की अवधि 5 जुलाई, 1992 से 4 जनवरी, 1993 तक और 6 महीने के लिए अथवा अगले आदेश होने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 1992

संकल्प

सं० सोप 11(22)/90/477—संकल्प संख्या सोप 11(22)/90 दिनांक फरवरी, 1990 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रथम पैरा में परिविष्टि निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित की जाएगी:—

सं० सोप 11(22)/90/—भारत सरकार ने टूथपेस्ट, कॉसमेटिक्स तथा टॉयलेटरीज के लिए फरवरी 1990 के संकल्प के तथा सितम्बर 1991 के संशोधित संकल्प के जारी होने की तिथि से 31 दिसम्बर 1992 तक लगभग दो वर्ष तथा दस महीनों की अवधि के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ विकास तालिका के गठन का निर्णय लिया है।

मदन मोहन निदेशक प्रशा०

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1992

संकल्प

सं० 24-1/89-फसल प्रशासन-2—भारत सरकार ने दिनांक 26 मई, 1992 के संकल्प संख्या 24-1/89फसल प्रशासन-2 के द्वारा गठित भारतीय तम्बाकू विकास परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

1. अध्यक्ष	भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला एक गैरसरकारी व्यक्ति।
2. उपाध्यक्ष	कृषि आयुक्त कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
3. सदस्य:	
क. संसद सदस्य	संसद के तीन सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जो संसदीय कार्य विभाग, द्वारा नामजद किए जाएंगे।
ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग के दस प्रतिनिधि जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाएंगे :—
	1. आन्ध्र प्रदेश 1
	2. बिहार 1
	3. गुजरात 1
	4. कर्नाटक 1
	5. हरियाणा 1
	6. मध्य प्रदेश 1
	7. उड़ीसा 1
	8. तमिलनाडु 1
	9. पश्चिम बंगाल 1
	10. उत्तर प्रदेश 1
ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	क. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ख. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ग. संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति। घ अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर ङ. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।

च. परियोजना समन्वयक (तम्बाकू) कृषि संस्थान, आनन्द, गुजरात

छ. निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री, आन्ध्र प्रदेश

ज. नागरिक आपूर्ति विभाग, एक प्रतिनिधि

झ. कृषि और सहकारिता विभाग में तम्बाकू से संबंधित संयुक्त आयुक्त

ञ. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ, आनन्द

ट. अध्यक्ष गैर वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादन संघ गुजरात, आनन्द।

ख. उत्पादकों के प्रतिनिधि — मुख्य तम्बाकू उत्पादक राज्यों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित रूप से नामजद किए जाने वाले आठ उत्पादक प्रतिनिधि :—

1. आन्ध्र प्रदेश	2
2. बिहार	1
3. गुजरात	1
4. कर्नाटक	1
5. महाराष्ट्र	1
6. तमिलनाडु	1
7. पश्चिमी बंगाल	1

ग. व्यापार के प्रतिनिधि — व्यापार के तीन प्रतिनिधि जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जायेगी

घ. उद्योग के प्रतिनिधि — उद्योग के तीन प्रतिनिधि जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जायेगी

ङ. अन्य — कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिनिधित्व

1. फार्म के कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिनिधि—एक

2. कारखानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों का प्रतिनिधि—एक

ज. ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाएंगे

4. सदस्य सचिव — निदेशक, तम्बाकू विकास निदेशालय, 27, एल्डम्स रोड, मद्रास।

5. प्रेक्षक — (जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि परिषद के विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे)

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि।

2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

3. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।

4. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि।

5. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०, नई दिल्ली।

6. संयुक्त सचिव (व्यापार), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. तम्बाकू के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

2. तम्बाकू के उत्पादन तथा विपणन एवं तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० एम० सेठी, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 1 जुलाई, 1992

संकल्प

सं० ई० 17011/1/92–रा० भा०—भारत सरकार एतद्द्वारा संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है :—

एक : गठन

1. संचार राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. संचार उपमंत्री	उपाध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

लोक सभा से संसद सदस्य

3. श्री गोविन्द राम निकम — सदस्य

4. श्री जय प्रकाश — सदस्य

राज्य सभा से संसद सदस्य

5. श्री बी० एल० पंवार — सदस्य

6. श्री के० प्रभाकर राव — सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से संसद सदस्य

7. श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राज्य सभा) — सदस्य

8. श्री राम विलास पासवान (लोक सभा) — सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

9. अध्यक्ष — सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
एक्सवाई/68, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली–110023

अखिल भारतीय स्तर की स्वयं सेवी हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि

10. डा. एम० डी० पराडकर — सदस्य
कुलपति,
बम्बई हिन्दी विद्यापीठ,
बम्बई।

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

11. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव — सदस्य
भूतपूर्व सांसद,
गांव एकाही, डाक घर बरियारपुर,
जिला मुंगेर,
बिहार।

12. सुश्री कुसुमलता मित्तल — सदस्य
पूर्व सचिव, रा० भा० विभाग,
मकान नं० 114, पाकेट–ए,
ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली।

13. श्रीमती पुष्पा नारायण, — सदस्य
द्वारा डा० शैलेन्द्र नारायण,
महाप्रबन्धक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
प्रधान कार्यालय, विकास दीप,
छठी व सातवीं मंजिल,
22, स्टेशन रोड,
लखनऊ–226 019
अन्य गैर सरकारी सदस्य

14. श्री अफला सिंह वर्मा, — सदस्य
ग्राम नरहेड़ा, पोस्ट नकुड़,
जिला सहारनपुर (उ०प्र०)

15. श्री गोपीचन्द वर्मा, — सदस्य
प्रिंसीपल, इण्टर कालेज,
आध्यात्मिक नगर, डासना के पास,
जिला गाजियाबाद (उ०प्र०)

16. डा० सत्यनारायण, — सदस्य
सहायक प्रोफेसर, जोधपुर विश्वविद्यालय,
जोधपुर (राजस्थान)

17. डा० राजेन्द्र प्रकाश, — सदस्य
विशेष अधिकारी,
कालेज शिक्षा निदेशक,
जयपुर

18. श्री प्रेम लाल भट्ट — सदस्य
ग्राम सैमल, पोस्ट—रामाकोट,
जिला पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

19. श्री जफर अख्तर — सदस्य
144, बी० सी० लाईन
मेरठ कैंट
उत्तर प्रदेश

20. श्री गुलाब कोठारी, — सदस्य
राजस्थान पत्रिका,
जयपुर।

21. श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, — सदस्य
दैनिक नवज्योति,
अजमेर।

22. श्री सुनील गुप्ता (मैनेजिंग डायरेक्टर) — सदस्य
दैनिक जागरण, एस–358,
ग्रेटर कैलाश पार्ट-II,
नई दिल्ली–110048

23. डा० मानसिंह वर्मा, — सदस्य
हिंदी विभाग, मेरठ विश्वविद्यालय,
मेरठ।

24. प्रो० अरुण कमल, — सदस्य
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
पटना विश्वविद्यालय,
पटना।

25. प्रोफेसर मलिक मोहम्मद, — सदस्य
डीन (भाषा), कालीकट विश्वविद्यालय,
कालीकट–673635

अधिकारी गण

राजभाषा विभाग

26. सचिव — सदस्य

27. संयुक्त सचिव — सदस्य
दूरसंचार विभाग

28. अध्यक्ष दूरसंचार आयोग — सदस्य

29. सचिव, दूरसंचार आयोग — सदस्य

30. सदस्य (सेवाएं), दूरसंचार आयोग — सदस्य

31. सदस्य (प्रो०), दूरसंचार आयोग — सदस्य

32. सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग — सदस्य

33. सदस्य (तक०), दूरसंचार आयोग — सदस्य

34. अध्यक्ष, एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि०, मद्रास — सदस्य

35. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, — सदस्य
विदेश संचार निगम, लि०,
बम्बई।

		सदस्य
	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीस, बेंगलूर	
37	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लि०, नई दिल्ली।	सदस्य
38.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, महानगर टेलीफोन निगम लि०, नई दिल्ली।	सदस्य
39.	निदेशक, अनुश्रवण संगठन, पुष्प भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
40.	कार्यकारी निदेशक, टेलीमेटिक्स विकास के लिए केन्द्र, नई दिल्ली	सदस्य
41.	संयुक्त सचिव (प्रशा० एवं संसद)	सदस्य
42.	निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव

2. कार्य

समिति का काम संविधान, में राजभाषा अधिनियम और नियमों में दिए गए राजभाषा से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन और केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीति संबंधी निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के सम्बन्ध में और दूरसंचार विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकार को सलाह देना है।

3. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, तीन वर्ष होगा:—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

4. यात्रा तथा अन्य भत्ते:

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

5. सामान्य

समिति अतिरिक्त सदस्यों को भी सहयोजित सदस्यों के रूप में सामिल कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है।

6. आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

आर० रामानुजम, संयुक्त सचिव (प्रशा० एवं संसद)

विद्युत मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 1992

संकल्प

सं० 32027/9/92-पी० एफ० सी०—राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन को वाणिज्यिक व्यवहार्यता का स्वरूप प्रदान करने और 3% के न्यूनतम सांविधिक लाभांश को अर्जित करने में उनकी सहायता करने के लिए विद्युत टैरिफों को युक्तियुक्त बनाने हेतु भारत सरकार विद्युत टैरिफ बोर्डों की स्थापना संबंधी प्रश्न पर विचार करती रही है।

2. इस लिए राज्यों के परामर्श तथा राज्य बिजली बोर्डों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र विद्युत यूटिलिटियों की सहायता से केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाले राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड और दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता और शिलांग में पांच क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्डों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय टैरिफ बोर्ड का मुख्य कार्य, सभी क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा टैरिफ निर्धारण के मामले में समान दृष्टिकोण अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से सिद्धांतों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण करना तथा अन्तःराज्यीय और अन्तःक्षेत्रीय विद्युत के आदान-प्रदान के लिए टैरिफ का निर्धारण करना होगा। क्षेत्रीय टैरिफ बोर्डों द्वारा वित्तीय एवं आर्थिक पहलुओं के आधार पर विशिष्ट सिद्धांत तैयार किए जाएंगे और रा० बि० बोर्डों/विद्युत यूटिलिटीज द्वारा विद्युत के विभिन्न उपभोग क्षेत्रों को सप्लाई की गई विद्युत के लिए उपर्युक्त प्रकार के पहलुओं के आधार पर टैरिफ निर्धारित किए जाने के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को सिफारिशें की जाएंगी। विद्युत टैरिफ बोर्ड राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटीज के टैरिफ संबंधी कार्य निष्पादन के बारे में एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संबंधित सरकार को भी प्रस्तुत करेंगे।

3. टैरिफ बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशें, नीति-निर्धारकों एवं निर्णायकों के लिए लाभकर होंगी तथा वित्तीय एवं आर्थिक दृष्टिकोण से टैरिफ का समुचित निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किए जाने के साथ-साथ सामाजिक समानता के उद्देश्यों की पूर्ति भी करेंगी। इसका एक अन्य लाभ यह भी होगा कि टैरिफ संरचना को अपेक्षित सुस्पष्टता प्रदान की जा सकेगी। चूंकि विद्युत टैरिफ के संबंध में अन्योन्य-आर्थिक सहायता (क्रास-सबसिडाइजेशन) संबंधी खटक से नहीं बचा जा सकता इसलिए टैरिफ बोर्डों की रिपोर्टों के माध्यम से उपभोक्ताओं को टैरिफ के निर्धारण के संबंध में तर्कधार संबंधी सुविधा उपलब्ध होगी।

4. प्रत्येक टैरिफ बोर्ड में अध्यक्ष तथा तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय पृष्ठभूमि और विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। ये पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे। राष्ट्रीय टैरिफ बोर्ड तथा क्षेत्रीय टैरिफ बोर्डों के लिए अपेक्षित स्टाफ का निर्धारण राष्ट्रीय टैरिफ बोर्ड द्वारा विद्युत मन्त्रालय के अनुमोदन से किया जाएगा। प्रत्येक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनियुक्ति विदेश सेवा, सीधे नियुक्ति आदि के आधार पर संबंधित बोर्ड हेतु स्टाफ की तैनाती की जायेगी। विद्युत टैरिफ बोर्डों के अध्यक्षों, सदस्यों और अन्य स्टाफ के वेतन, भत्तों एवं अन्य ग्राह्यताओं का भुगतान, रा० बि० बोर्डों विद्युत यूटिलिटीज द्वारा अंशदान के माध्यम से सृजित निधि से किया जाएगा। बोर्ड में प्रतिनियुक्ति विदेश सेवा अथवा अन्य प्रकार से नियुक्ति से संबंधित सेवा शर्तों का विनियमन, प्रत्येक बोर्ड द्वारा जारी स्थायी वित्त-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

5. विद्युत टैरिफ बोर्डों की स्थापना एवं प्रबंध संबंधी लागत को राज्य बिजली बोर्डों/निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत यूटिलिटीज द्वारा वहन किया जाएगा। प्रारंभिक व्यय की पूर्ति, भागीदार रा० बि० बोर्डों यूटिलिटीज के अंशदान से इनकी अधिष्ठापित क्षमता और केन्द्रीय यूटिलिटीज से विद्युत आबंटन के अनुपात के आधार पर की जाएगी। राष्ट्रीय बोर्ड टैरिफ समेत आवर्ती व्यय की पूर्ति, राज्य बिजली बोर्डों तथा

अन्य भागीदार युटिलिटीज द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में बिक्री की गई ऊर्जा की मात्रा के अनुपात में इनकी वसूली से की जाएगी।

6. अपने कार्य निष्पादन के निर्वाह के लिए विद्युत टैरिफ बोर्डों को, किसी भी अधिकारी अथवा निजी संस्थाओं से नोट, ज्ञापन, सूचना अथवा अन्य किसी प्रकार की संबंधित सामग्री प्राप्त करने और सार्वजनिक सदस्यों का साक्ष्य प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत युटिलिटीज के अध्यक्षों, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं केन्द्रीय विद्युत निगमों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को भी भेजी जाए।

जे० पी० सिंह,
विशेष सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 25th June 1992

No. A-11011/10/85-Ad.I.—Reference this Secretariat's Notification of even number dated 30-4-90 extending the term of the economic Advisory Council (EAC) upto 4-7-92 and Planning Commission's Notification No. F. 6 (1443)/90-Admn. I dated 21-12-90 regarding assumption of charge by Dr. Bimal Jalan as Chairman EAC w.e.f. 14-12-90.

2. The Government has decided to extend the term of the Economic Advisory Council with the same constitution for a further period of 6 months, i.e. with effect from 5th July 1992 to 4th January 1993 or till further orders.

SANJIV MISRA,
Jt. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th June 1992

RESOLUTION

No. Soap-11 (22)/90/477.—In partial modification of Resolution No. Soap 11 (22)/90 dated February, 1990, the entries against first para, shall be substituted as follows :

No. Soap 11 (22)/90-Govt. of India have decided to constitute the Development Panel for Toothpaste, Cosmetics and Toiletries with the following composition and for the period of about 2 years and ten months up to 31st December, 1992 from the date of issue of this Resolution of February, 1990 and amendment issued in September, 1991.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN,
Director (Administration)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 26th May 1992

RESOLUTION

No. 24-1-/89-CA. II.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Tobacco Development Council constituted vide Resolution No. 24-1/89-CA, II dated the 23rd January, 1991. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. Chairman

A Non-official to be nominated by Government of India.

II. Vice Chairman

Agriculture Commissioner,
Ministry of Agriculture,
Department of Agriculture and
Cooperation, New Delhi.

III. Members

A. *Members of Parliament*

Three Members of Parliament
(two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha)
to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. *Representatives of State Governments*

7 representatives of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :

	No. of representatives
(i) Andhra Pradesh	1
(ii) Bihar	1
(iii) Gujarat	1
(iv) Karnataka	1
(v) Haryana	1
(vi) Madhya Pradesh	1
(vii) Orissa	1
(viii) Tamil Nadu	1
(ix) West Bengal	1
(x) Uttar Pradesh	1

C. *Representatives of Central Government*

(a) One representative of the Planning Commission.

(b) One representative of Ministry of Commerce.

(c) Joint Secy. (Extn.) Department of Agriculture & Cooperation or his nominee.

(d) Chairman, Tobacco Board, Guntur.

(e) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.

(f) Project Coordination (Tobacco), Institute of Agriculture, Anand, Gujarat.

(g) Director, Central Tobacco Research Institute, Rajahmundry, Andhra Pradesh.

(h) One representative of the Department of Civil Supplies.

(i) Joint Commissioner, dealing with Tobacco, in the Department of Agriculture & Cooperation.

(j) Chairman, National Cooperative Tobacco Growers Federation Ltd., Anand.

(k) Chairman, Non-virginia Tobacco Growers Federation, Gujarat, Anand.

D. *Representatives of Growers*

Eight Growers' representatives to be nominated by the respective State Governments from the major Tobacco growing States as follows :—

	No. of representatives
(i) Andhra Pradesh	2
(ii) Bihar	1
(iii) Gujarat	1
(iv) Karnataka	1
(v) Maharashtra	1
(vi) Tamil Nadu	1
(vii) West Bengal	1

E. *Representatives of Trade*

Three representatives of Trade to be recommended by the Ministry of Commerce.

F. *Representatives of Industry*

Three representatives of Industry as recommended by the Ministry of Commerce.

G. *Others*

Representation of workers

(i) Engaged in farms—One

(ii) Engaged in factory—One

H. *Such Additional persons as may from time to time be nominated by the Government of India.*

IV. Member Secretary

The Director,
Directorate of Tobacco Development

27, Eldmas Road, Madras.

V. Observers

(who would not be members of the Council but would be invited to assist the Council in its deliberations).

(i) Chairman, State Trading Corporation or his representative.

(ii) Agriculture Marketing Adviser, Department of Rural Development or his representative.

(iii) Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation.

(iv) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Coop., New Delhi, or his nominee.

(v) Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., N. Delhi.

(vi) Joint Secretary (Trade), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, N. Delhi.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider development programmes in the Central and State sectors in respect of Tobacco, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Tobacco.

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of tobacco and remunerative prices to tobacco growers and advise Government in these matters;

(iii) To consider demands for tobacco in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programme;

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of tobacco production and suggest suitable measures for meeting the same;

(v) To facilitate coordination between research and development programme relating to tobacco and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of tobacco; and

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committee, Technical Committee and ad hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which tobacco is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Governments. The term of the Chairman and other non-official Members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the Members of the Council as soon as they cease to be Member of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. M. SETHI,
Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPTT. OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 1st July 1992

RESOLUTION

No. E. 17011/1/92-O.L.—The Govt. of India hereby reconstitute the Hindi Salahkar Samiti in the Deptt. of Tele-

communications (Ministry of Communications) as under :—

I. *Composition*

Chairman

1. Minister of State for Communications.

Vice Chairman

2. Dy. Minister of Communications.

Non-Officials

Members

M.P.s from Lok Sabha

3. Shri Govind Ram Nikam.

4. Shri Jai Prakash.

M.P.s from Rajya Sabha

5. Shri B.L. Panwar.

6. Shri K. Prabhakar Rao.

M.P.s from Committee of Parliament on Official Language

7. Shri Jagdish Prasad Mathur (Rajya Sabha).

8. Shri Ram Bilas Paswan (Lok Sabha).

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

9. President,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi.

Representative from voluntary Hindi Organisation of all India level.

10. Dr. M. D. Paradkar,
Vice Chancellor,
Bombay Hindi Vidyapeeth,
Bombay.

Nominated by the Deptt. of Official Language.

11. Shri Jagdambi Prasad Yadav,
Former Member of Parliament,
Vill. Aikashi, P. O. Wariyampur,
Distt. Mongher,
Bihar.

12. Km. Kusum Lata Mittal,
Former Secretary, Deptt. of OL,
House No. 114, Pocket III,
East of Kailash,
New Delhi.

13. Smt. Pushpa Narayan,
C/o Dr. Shailender Narayan,
General Manager,
Small Industries Development,
Bank of India,
Head Office Vikas Deep,
6th, 7th Floor, 22, Station Road,
Lucknow-226019.

Other Non-Official Members

14. Shri Afla Singh Verma,
Vill. Marheda, P. O. Nakud,
Distt. Saharanpur (UP).

15. Shri Gopi Chand Verma,
Principal, Inter College,
Adhyatmic Nagar,
Near DASNA, Distt. Ghaziabad (UP).

16. Dr. Satya Narayan,
Assistant Professor,
Jodhpur University,
Jodhpur (Rajasthan).

17. Dr. Raghav Prakash,
Officer on Special Duty,
Director College Education,
Jaipur.

18. Shri Prem Lal Bhatt,
Vill. Seman, P. O. Ranakot,
Distt. Pauri Garhwal (U.P.).

19. Shri Zafar Akhtar,
144, B. C. Lines ,
Meerut Cantt. (U.P.).

20. Shri Gulab Kothari,
Rajasthan Patrika,
Jaipur.

21. Shri Durga Prasad Chaudhary,
Dainik Nav-Jyoti,
Ajmer.

22. Shri Sunil Gupta, Managing Director,
Dainik Jagran, S-358 Greater Kailash,
Part-II,
New Delhi-110048.

23. Dr. Man Singh Varma,
Hindi Deptt.,
Meerut University,
Meerut.

24. Shri Arun Kamal,
Professor, Hindi Deptt.,
Patna University,
Patna.

25. Prof. Malik Mohammed,
Dean (Language),
Calicut University,
Calicut-673635.

Deptt. of Official Language

26. Secretary.

27. Joint Secretary.

Deptt. of Telecommunication

28. Chairman, Telecom. Commission.

29. Secretary, Telecom. Commission.

30. Member (Services), Telecom. Commission.

31. Member (P), Telecom. Commission.

32. Member (F), Telecom. Commission.

33. Member (T), Telecom. Commission.

34. Chairman & Managing Director,
Hindustan Teleprinters Ltd.,
Madras.

Members

35. Chairman & Managing Director,
Indian Telephone Industries,
Bangalore.

36. Chairman & Managing Director,
Videsh Sanchar Nigam Ltd.,
Bombay.

37. Chairman & Managing Director,
Telecommunication Consultants India Ltd.,
New Delhi.

38. Chairman & Managing Director,
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.,
New Delhi.

39. Director,
Monitoring Organisation,
Pushpa Bhawan,
New Delhi.

40 Executive Director,
C—DOT,
New Delhi.

41. Joint Secretary (A&P).

Member-Secretary

42. Director (OL).

II. *Function*

Function of the Samiti will be to render advice to the Govt. in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Language Act and Rules and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Deptt. of O.L. and also in regard to the progressive use of Hindi in the Deptt. of Telecom.

III. *Tenure*

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that :—

(a) a member, who is a member of Parliament, will cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament.

(b) ex-officio members of the Samiti shall continue as member so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti, and

(c) a member nominated in a vacancy arising in the Samiti due to the death or resignation of any member, shall hold office for the residual term.

IV. *Travelling and other allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Govt. of India, from time to time.

V. *General*

The Samiti may nominate such additional members as co-opted members and invite such experts to attend its meetings as may be considered necessary.

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. RAMANUJAM,
Jt. Secy. (A & P)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 20th July 1992

RESOLUTION

No. 32027/9/92-PFC.—The Government of India has been considering the question of setting up of Power Tariff Boards for rationalisation of power tariffs to make SEBs' operations commercially viable and help them in achieving the statutory minimum of 3% return.

2. It has now been decided by the Central Government, in consultation with the State Governments and in concurrence with State Electricity Boards, Power Utilities both in the Public and Private Sector to set up a National Power Tariff Board with all-India jurisdiction and five Regional Power Tariff Boards to be located at Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta and Shillong. The main functions of the National Power Tariff Board will be to evolve broad principles and guidelines to ensure uniform approach by all Regional Boards in the matter of fixation of tariff, and work out tariff for inter-State and inter-regional exchanges of power. The Regional Power Tariff Boards will evolve the specific principles based on financial and economic factors, and make recommendations to the State Governments concerned, for fixation of tariff based on such factors, for the power supplied by SEBs/Power Utilities to different sectors of power consumption. The Power Tariff Boards will also present an annual assessment report on the tariff-related performance of the SEBs/Power Utilities every year to the Governments concerned.

3. The recommendations made by the Tariff Boards will be useful to the policy and decision-makers, and serve the objectives of social equity, apart from ensuring proper fixation of tariff from the financial and economic angles. Another advantage will be that the tariff structure will have the much needed transparency. Since an element of cross-subsidisation in respect of power tariff is inescapable, the rationale for the fixation of tariff will be available to the consumers, through the reports of the Tariff Boards.

4. Each Tariff Board will comprise of a Chairman and two Members who will be experts with technical, administrative and financial background and experience in the power sector. They will be full-time functionaries. The National Tariff Board shall determine the strength of the staff required for the National Tariff Board as well as the Regional Tariff Boards, with the approval of Department of Power. Chairman of each Board shall make recruitment of staff to the respective Board by deputation, foreign service, direct recruitment from the open market, etc. The salaries, allowances and other entitlements of the Chairman, Members and other staff of the Power Tariff Boards will be payable from the funds created by contribution from the SEBs/Power Utilities. During the deputation, foreign service or appointment in the Board, the service conditions of the staff working in the Boards will be regulated by means of Standing Instructing to be issued by each Board.

5. The cost of establishing and managing the Power Tariff Boards will be met by the State Electricity Boards/Power Utilities, both in Private and Public Sectors. The initial expenses will be met by contribution of participating Electricity Boards/Utilities in the ratio of their installed capacity and allocation of power from the Central Utilities. The Subsequent recurring expenses including that of National Tariff Board would be met by recoveries from the State Electricity Boards and other participating Utilities, in the ratio of the quantum of energy sold by them in their respective territories.

6. In the discharge of their functions, the Power Tariff Boards will have powers to call for notes, memoranda, information, or any other relevant materials from any official or private institutions, and take evidence from members of public.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Govt. of India, Chief Secretaries of the State Governments, Chairmen of the SEBs/Power Utilities, Chairman, CEA and CMDs of all the Central Power Corporations.

J. P. SINGH,
Special Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1992.